स्मरण-पत्र / आवश्यक

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली-12 / New Delhi-12
(आवास अनुभाग / Housing Section)

F.No.6-5/2022/H/ Dated: 12th June, 2026

परिपत्र

संदर्भ: इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 6-5/2022/H/218 दिनांक 29.04.2026 (प्रति सलग्न)।

यह देखा गया है कि उक्त परिपत्र जारी किए जाने के बावजूद अनेक आवंटियों द्वारा अपेक्षित सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त सूचना आवासीय अभिलेखों के अद्यतन रख-रखाव, वास्तविक अधिभोग के सत्यापन तथा अनधिकृत उपयोग/उप-किरायेदारी की रोकथाम हेतु आवश्यक है। अभी तक बहुत कम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मांगी गयी जानकारी उपलब्ध कराई गयी है।

2. यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि इस विषय पर निदेशक महोदय ने भा.कृ.अ.सं. की वरिष्ठ अधिकारी समिति (SOC) की दिनांक 02.06.2026 को आयोजित बैठक में गंभीरता से चर्चा की और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक आवंटी की अनुपालन स्थिति आवास अनुभाग द्वारा संकलित कर समिति के समक्ष स्थायी कार्यसूची मद (**Standing Agenda Item**) के रूप में जुलाई, 2026 की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, सूचना प्रस्तुत करने वाले एवं सूचना प्रस्तुत न करने वाले आवंटियों की समेकित स्थिति समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

3. अतः पुनः अनुरोध है कि जिन आवंटियों द्वारा अभी तक निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, वे इस स्मरण-पत्र के निर्गमन की तिथि से सात (07) दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जानकारी 29.04.2026 के सर्कुलर में दिए गए फ़ॉर्मैट (**Annexure I**) में दी जा सकती है और ईमेल आईडी **iarihousingsection@gmail.com** पर ईमेल की जा सकती है या हाउसिंग सेक्शन में भौतिक रूप में जमा की जा सकती है या ई-ऑफ़िस पर ई-रसीद के तौर सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास) को भेजी जा सकती है।

4. इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए।

संलग्न: यथोक्त

12/06/2026
(रवि चौहान)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - वरिष्ठ ग्रेड

प्रति:

• ICAR-IARI के सभी आवंटित आवासों के आवंटियों को, जिनमें इसके क्षेत्रीय केंद्रों के आवंटी भी शामिल हैं।

• ICAR-IARI के सभी क्षेत्रीय केंद्रों के प्रमुखों को, इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित सभी आवंटियों के संज्ञान में इस परिपत्र की विषय-वस्तु को लाएँ।

सूचना हेतु प्रति:

1. निदेशक, ICAR-IARI, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. सभी संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्षों के निजी सचिव।
3. AKMU प्रभारी – इंट्रानेट पर अपलोड हेतु ।
4. सचिव, IJSC
5. सभी RWA अध्यक्ष/सचिव।
6. आवास/सुरक्षा अनुभाग ।
7. गार्ड मिसिल।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली-12 / New Delhi-12
(आवास अनुभाग / Housing Section)

F.No.6-5/2022/H/

Dated: 12th June, 2026

CIRCULAR

Reference: Housing Section Circular No. 6-5/2022/H/218 dated 29.04.2026 (copy enclosed).

It has been observed that despite the above circular, a large number of allottees have not furnished the requisite information. The information sought is essential for maintaining updated occupancy records, verification of bona fide occupation and prevention of un-authorised use/subletting. The desired information has been provided by a very few officers/employees.

2. It is also informed that **Director has in the meeting of IARI Senior Officers Committee held on 02.6.2026 discussed this issue seriously and decided that the compliance status of individual allottees shall be compiled and placed before the Committee as a Standing Agenda Item in the next meeting of the SOC to be held in the month of July, 2026.** Accordingly, a consolidated status report of compliance and non-compliance shall be placed before the SOC.

3. All allottees who have not yet submitted the requisite details are, therefore, requested to furnish the desired information within **seven (07) days from the date of issue of this reminder. The information can be provided in the format prescribed (Annexure I) of the circular dated 29.04.2026 and emailed on email id *iarihousingsection@gmail.com* or can be submitted in physical form in the Housing Section or can be submitted as e-receipt on eoffice to the AAO, Housing Section**.

4. This may be treated as MOST URGENT.

Encl. : As stated.

12/06/2026
(Ravi Chauhan)
Chief Administrative Officer - Sr. Grade

To :

- All Allottees of ICAR-IARI Residential accommodations including at its Regional Stations.
- All Heads of IARI-Regional Stations with the request to bring the contents to the notice of all the allottees of ICAR-IARI accommodation concerned.

Copy for information to:

1. PS to Director, ICAR-IARI, New Delhi
2. PS/PPS to all JDs/HODs/Ic, PME Cell.
3. I/c AKMU with the request to upload this circular on the IARI intranet/website for information of all.
4. Secretary, IJSC.
5. All President/Secretary of RWAs.
6. Housing Section / Security Section.
7. Guard File.

आवंटित आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों एवं सर्वन्ट कॉर्टर में रहने वाले घरेलू सहायक का विवरण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र/ Proforma for obtaining details of family members residing in allotted quarter and details of domestic helps residing in Servant Quarters

1. आवंटि का नाम एवं पदनाम/
   Name of the allottee and designation: ______________________
2. लिंग/ Gender: ______________________
3. श्रेणी/ Category (SC/ST/PwD): ______________________
4. आवंटित आवास संख्या, टाइप एवं स्थान (कृषि कुंज/ जनक विहार/ पूसा परिसर)
   Allotted Quarter No. , Type and locality: ______________________
5. तिथि जब से आवास में रह रहे है/ Date since when Quarter occupied: ______________________
6. आवंटि का संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई. डी./
   Contact No. of allottee along with e-mail ID: ______________________
7. आवंटि का आधार नंबर/
   Aadhaar No. of Allottee ______________________
8. परिवार का विवरण/ Details of family

क्रम संख्या /S.No.	नाम/ Name	आयु/ Age	आवंटि के साथ संबंध/ Relation with the allottee
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

9. सर्वन्ट कॉर्टर में रहने वाले घरेलू सहायक/सहायकों का विवरण (यदि कोई हो)/ Details of servants residing in servant quarters (if any)

क्रम संख्या /S.No.	नाम (उपनाम, यदि कोई हो)/ Name (Alias, if any)	आयु/ Age	संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई. डी./ Contact number/ e-mail ID

घोषणा/ Declaration:

मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/ करती हूँ कि/ I hereby solemnly declare that:

(i) भा. कृ. अनु. प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नियम/जीपीआरए-2017 नियमों के अनुसार उपर्युक्त आवास पर केवल मेरा और मेरे परिवार के पात्र सदस्यों का कब्जा है। पारिवारिक विवरण में कोई भी बदलाव मेरे द्वारा अद्यतन किया जाएगा और आवास अनुभाग को तुरंत सूचित किया जाएगा।
The above-mentioned accommodation is occupied only by me and my eligible family members as per ICAR-IARI Allotment Rules/ GPRA-2017 Rules. Any changes in family details will be updated by me and intimated to Housing Section immediately.

(ii) आवास का कोई भी हिस्सा पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया गया है।
No portion of the accommodation has been sublet, either wholly or partly to any person.

(iii) परिसर का उपयोग पूरी तरह से आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, न कि किसी वाणिज्यिक या अनधिकृत गतिविधि के लिए।
The premises is being used strictly for residential purposes and not for any commercial or un-authorised activity

(iv) मैं समझता/ समझती हूं कि यदि उपरोक्त घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मैं जीपीआरए-2017 दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) सहित लागू नियमों के तहत आवंटन रद्द करने, बेदखली, क्षति (दंडात्मक लाइसेंस शुल्क), डिबारमेंट और अनुशासनात्मक कार्रवाई को करने के लिए उत्तरदायी होगा।
I understand that in case the above declaration is found false, I shall be liable for cancellation of allotment, eviction, damages (penal license fee), debarment, and disciplinary action under applicable rules including GPRA-2017 guidelines (as amended from time to time).

(आवंटि के हस्ताक्षर दिनांक सहित/ Signature of the allottee with date)

टिप्पणी/ Note:

आवंटियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रोफ़ार्मा को सभी दृष्टियों से पूर्ण करके, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ, आवास अनुभाग (Housing Section) के ई-मेल ID: iarihousingsection@gmail.com पर जमा करें:

1. आवंटी के आधिकारिक पहचान पत्र (ID proof) की प्रति।
2. आवंटी के परिवार के सदस्यों के फोटो पहचान पत्र।
3. सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले घरेलू सहायक/सहायकों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज (यदि कोई हों)।

The allottees are requested to submit the above proforma complete in all respects alongwith a copy of the following documents to Housing Section on e-mail ID: iarihousingsection@gmail.com:

1. Copy of the official ID proof of the allottee.
2. Photo ID proof of family members of the allottee.
3. Police verification documents of servants residing in servant quarters (if any).

नोट: हिंदी व् अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली-12 / New Delhi-12
(आवास अनुभाग/Housing Section)

संख्या 6-5/2022/H/218 दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

परिपत्र

विषय: भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. आवासीय आवास के उप-किरायेदारी/अनधिकृत उपयोग के लिए दंडात्मक प्रावधानों की सूचना तथा निरीक्षण समिति द्वारा नियमित निरीक्षण — संबंधी।

भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. आवासीय आवास के सभी आवंटियों को सूचित किया जाता है कि यह ध्यान में आया है कि कुछ आवंटी उप-किरायेदारी, अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करना तथा उन्हें आवंटित आवास का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि आवंटन नियमों/जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नियम, 2017 (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) तथा उनके आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। हाल ही में संस्थान की निरीक्षण समिति द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. आवास के अनधिकृत उपयोग के ऐसे तीन मामले पाए गए। परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तीनों आवंटन रद्द कर दिए गए हैं तथा समय-समय पर संशोधित GPRA-2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार क्षति शुल्क/दंडात्मक किराया लगाया गया है।

2. आवंटन का उद्देश्य

भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. आवासीय आवास पात्र कर्मचारियों को केवल उनके तथा उनके आश्रित परिवार/निकट संबंधियों के वास्तविक निवास हेतु आवंटित किया जाता है। यह आवास केवल आवासीय उपयोग के लिए है, और किसी अन्य उपयोग को दुरुपयोग माना जाएगा, जिस पर नियमों के तहत दंड लागू होगा। आवंटित आवास या गैरेज का कोई भी भाग किसी भी परिस्थिति में किसी अनधिकृत व्यक्ति को न तो उप-किराये पर दिया जा सकता है, न साझा किया जा सकता है और न ही सौंपा जा सकता है।

3. उप-किरायेदारी/अनधिकृत उपयोग की परिभाषा

निम्नलिखित कृत्यों सहित अन्य कार्य **भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं.** आवासीय आवास की उप-किरायेदारी या अनधिकृत उपयोग माने जाएंगे:

(i) आवंटी के परिवार/निकट संबंधियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवास में रहने देना।

(ii) पूरे या आंशिक आवास/सर्वेंट क्वार्टर को धन या किसी अन्य लाभ के बदले उप-किराये पर देना।

(iii) आवास साझा करने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है; आवंटी केवल अपने परिवार/निकट संबंधियों के साथ ही रह सकता है, जैसा कि GPRA-2017 के तहत अनुमति है।

(iv) गैरेज का दुरुपयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों को उसमें रहने देना, या उसे आवंटी के अपने वाहन की पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करना।

(v) आवासीय परिसर का उपयोग व्यावसायिक, कार्यालय, या किसी अन्य गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए करना।

(vi) किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण करना, चाहे वह अस्थायी प्रकृति का ही क्यों न हो।

4. दंडात्मक प्रावधान

सभी आवंटियों को सूचित किया जाता है कि आवंटित आवास की उप-किरायेदारी या अनधिकृत उपयोग पाए जाने पर निम्नलिखित दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी:

(क) आवंटन रद्द करना: यदि उप-किरायेदारी का मामला सिद्ध हो जाता है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आवंटी नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) क्षति शुल्क: यदि किसी आवंटी के विरुद्ध उप-किराएदारी सिद्ध हो जाती है, तो आवास के निरीक्षण की तिथि से, लागू दरों के अनुसार, क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा।

(ग) भविष्य के आवंटन से वंचित करना: सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में यह अधिकार होगा कि वह आवंटी को उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए आवासीय आवास के आवंटन के लिए अपात्र घोषित कर दे।

(घ) अनुशासनात्मक कार्यवाही: आवंटी के संबंधित प्रशासनिक कार्यालय को संपदा निदेशालय द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने तथा प्रमुख दंड लगाए जाने हेतु, मसौदा आरोप-पत्र के साथ निर्देश जारी किया जाएगा। प्रमुख दंड की कार्यवाही सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अंतर्गत सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के उल्लंघन के लिए प्रारंभ की जाएगी ।

(ङ) बेदखली कार्यवाही: जहाँ उप-किरायेदारी का तथ्य स्थापित हो जाता है, वहाँ निर्णय लेने वाला प्राधिकारी मामले को संपदा अधिकारी के पास संदर्भित करेगा, ताकि सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों के बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

(च) बकाया की वसूली: लाइसेंस शुल्क के बकाया तथा क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों के बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।

(छ) अनुपालन न करने पर: ऐसे मामले, जिनमें कोई व्यक्ति नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, संबंधित चूक करने वाले आवंटियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाए जाएंगे।

5. निरीक्षण समिति द्वारा नियमित निरीक्षण

यह सूचित किया जाता है कि एक निरीक्षण समिति विधिवत गठित की गई है और यह भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. के सभी आवासों का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण करेगी, ताकि आवंटित आवास के वास्तविक कब्जे का सत्यापन किया जा सके। सभी आवंटितियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है:-

(i) निरीक्षण समिति को किसी भी समय, पूर्व सूचना के साथ या बिना, आवासीय परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है।

(ii) सभी आवंटितियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निरीक्षण के दौरान निरीक्षण समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(iii) निरीक्षण समिति को बाधित करने, गुमराह करने या जानकारी छिपाने का कोई भी प्रयास गंभीरता से लिया जाएगा और इसे स्वयं नियमों के अंतर्गत कार्रवाई का आधार माना जाएगा।

(iv) निरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी, जो नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

(v) निरीक्षण में मुख्य आवासीय इकाई के अतिरिक्त सामान्य क्षेत्र, गैरेज तथा सेवक कक्ष भी शामिल हो सकते हैं।

6. शिकायतों की गोपनीयता

उप-किरायेदारी या अनधिकृत उपयोग से संबंधित शिकायतों को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। शिकायत की प्रति आवंटी या किसी अन्य को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे शिकायतकर्ता को खतरा हो सकता है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भी अपवाद है।

7. आवंटियों के लिए परामर्श

(क) सभी आवंटियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे तुरंत सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित आवास उनके स्वयं के वास्तविक कब्जे में है तथा उसमें कोई भी अनधिकृत व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है। यदि किसी आवंटी द्वारा अनजाने में इस प्रकार का उपयोग होने दिया गया है, तो उसे तत्काल सुधार लिया जाए, अन्यथा ऊपर वर्णित सभी दंडात्मक परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

(ख) सभी आवंटियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण तथा, जहाँ आवंटित आवास में सेवक कक्ष शामिल है, वहाँ अपने घरेलू सहायकों का विवरण, संलग्न प्रारूप (अनुबंध) में इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से सात (07) दिनों के भीतर आवास अनुभाग को ईमेल आईडी iarihousingsection@gmail.com पर प्रेषित करें।

8. भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.अ.सं. के सीमित आवासीय संसाधनों के दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए, निदेशक,भा.कृ.अ.सं. ने इस विषय पर कड़ा रुख अपनाया है, और प्रत्येक आवंटी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे नियमों तथा अपने आवंटन की शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोक्त

29/04/2026

(रवि चौहान)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड)

प्रति:

• ICAR-IARI के सभी आवंटित आवासों के आवंटियों को, जिनमें इसके क्षेत्रीय केंद्रों के आवंटी भी शामिल हैं।
• ICAR-IARI के सभी क्षेत्रीय केंद्रों के प्रमुखों को, इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित सभी आवंटियों के संज्ञान में इस परिपत्र की विषय-वस्तु को लाएँ।

सूचना हेतु प्रति:

1. निदेशक, ICAR-IARI, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. सभी संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्षों के निजी सचिव।
3. AKMU प्रभारी – इंट्रानेट पर अपलोड हेतु ।
4. सचिव, IJSC
5. सभी RWA अध्यक्ष/सचिव।
6. आवास/सुरक्षा अनुभाग ।
7. गार्ड मिसिल।

नोट: हिंदी व् अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली-12 / New Delhi-12
(आवास अनुभाग/Housing Section)

No. 6-5/2022/H/218

Dated: 29th April, 2026

CIRCULAR

Subject: Intimation about penal provisions for subletting/unauthorised use of ICAR-IARI Residential Accommodation and Regular Inspections by the Inspection Committee — Regarding.

All allottees of ICAR-IARI Residential Accommodation are hereby informed that it has come to the notice that certain allottees are indulging in subletting, sharing with unauthorised persons, and misusing the accommodation allotted to them, in blatant violation of the Allotment Rules/General Pool Residential Accommodation Rules, 2017 (hereinafter referred to as "the Rules") and the terms and conditions of their allotment. In a recent surprise check three such instances of un-authorised use of ICAR-IARI residential accommodation were found by the Inspection Committee of the Institute. Resultantly, with the approval of competent authority, all the three allotments have been cancelled besides levy of damage charges/penal rent as per relevant provisions under GPRA-2017 as amended from time to time.

2. Purpose of Allotment

ICAR-IARI Residential Accommodation is allotted to eligible employees of ICAR-IARI etc. exclusively for his/her bona fide residential use by self and dependent family/immediate relations. Residential accommodation allotted to an employee is meant strictly for bona fide residential use, and any use other than residential is treated as misuse, attracting penal provisions under the Allotment Rules. No portion of the allotted accommodation or garage, whether in full or in part, shall be sublet, shared with, or otherwise handed over to any unauthorised person under any circumstances.

3. What Constitutes Subletting / Unauthorised Use

The following acts, among others, shall constitute subletting or unauthorised use of ICAR-IARI Residential Accommodation :-

(i) Allowing any person other than the allottee's family members and immediate relations to reside in the allotted accommodation.

(ii) Subletting whole or part of the accommodation/servant's quarter in exchange for monetary or any other consideration.

(iii) The provision of sharing of accommodation has been totally withdrawn; the allottee shall reside with his/her family and immediate relations only as permitted under GPRA-2017.

(iv) Misuse of the garage by allowing other persons to occupy it, or using it for any purpose other than parking of the allottee's own vehicle.

(v) Using the residential accommodation for commercial, office, or any other non-residential purpose.

(vi) Undertaking any unauthorised construction, even of a temporary nature.

4. Penal Consequences

All allottees are hereby placed on notice that the following penal actions shall be taken upon detection of subletting or unauthorised use of the allotted accommodation:

(a) **Cancellation of Allotment:** Where a case of subletting is established, the allotment shall be cancelled and the allottee shall be liable to penalties under the Rules.

(b) **Levy of Damages:** In case subletting is proved against an allottee, damage charges, as applicable, shall be imposed from the date of inspection of the accommodation.

(c) **Debarment from Future Allotment:** It will be within the powers of the competent authority to declare the allottee ineligible for allotment of residential accommodation for the remaining period of his/her service.

(d) **Disciplinary Proceedings:** A direction shall be issued by the Directorate of Estates to the concerned administrative office of the allottee for initiation of departmental proceedings and imposition of major penalty, along with a draft charge sheet. Major penalty proceedings shall be initiated under CCS (CCA) Rules, 1965 for violation of CCS (Conduct) Rules, 1964.

(e) **Eviction Proceedings:** Where the fact of subletting is established, the deciding authority shall refer the case to the Estate Officer for initiation of eviction proceedings under the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

(f) **Recovery of Arrears:** Arrears of licence fee and damages shall be recovered under the provisions of the Public Premises Act, 1971.

(g) **Non-Compliance:** Cases where an individual fails to comply with the provisions of the Rules shall be brought to the notice of the competent authority for appropriate disciplinary action against such defaulting allottees.

5. Regular Inspections by the Inspection Committee

It is hereby notified that an Inspection Committee has been duly constituted and will be conducting regular and surprise inspections of all ICAR-IARI residential units to verify bona fide occupation of the allotted accommodation. Allottees are advised to note the following:

(i) The Inspection Committee is authorised to inspect the residential accommodation at any time, with or without prior notice.

(ii) All allottees are required to extend full cooperation to the Inspection Committee and produce relevant documents as may be asked for during inspection.

(iii) Any attempt to obstruct, mislead, or withhold information from the Inspection Committee shall be viewed seriously and shall itself be treated as a ground for action under the Rules.

(iv) The Inspection Committee will submit its report to the competent authority, who shall take appropriate action in accordance with the Rules.

(v) Inspections may cover common areas, garages, and servant quarters in addition to the main residential unit.

6. Confidentiality of Complaints

Complaints received regarding subletting or unauthorised use shall be treated as strictly CONFIDENTIAL. The copy of a complaint shall not be furnished to the allottee or any other person, as disclosure may endanger the complainant. This is also exempted under the Right to Information Act, 2005.

7. Advisory to All Allottees

(a) All allottees are hereby strongly advised to immediately ensure that the accommodation allotted to them is in their own bona fide occupation and that no unauthorised person is residing therein. Any allottee who has inadvertently allowed such use must remedy the situation forthwith, failing which they shall be liable for all penal consequences as detailed above.

(b) All allottees are further requested to submit details of their family members residing with them – as well as details regarding their domestic helps in case where the allotted accommodation includes a servant quarter to the Housing Section on email id: iarihousingsection@gmail.com in the attached proforma (Annexure) within seven (07) days of issue of this circular.

8. The Director, IARI has taken a serious view of the misuse of scarce ICAR-IARI housing stock, and it shall be the personal responsibility of each allottee to ensure strict compliance with the Rules and the terms and conditions of their allotment.

Encl. : As stated.

29/04/2026

(Ravi Chauhan)

Chief Administrative Officer-Senior Grade

To :

- All Allottees of ICAR-IARI Residential accommodations including at its Regional Stations.
- All Heads of IARI-Regional Stations with the request to bring the contents to the notice of all the allottees of ICAR-IARI accommodation concerned.

Copy for information to:

1. PS to Director, ICAR-IARI, New Delhi
2. PS/PPS to all JDs/HODs
3. I/c AKMU with the request to upload this circular on the IARI intranet for information of all.
4. Secretary, IJSC.
5. All President/Secretary of RWAs.
6. Housing Section / Security Section.
7. Guard File.

आवंटित आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों एवं सर्वन्ट कॉर्टर में रहने वाले घरेलू सहायक का विवरण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र/ Proforma for obtaining details of family members residing in allotted quarter and details of domestic helps residing in Servant Quarters

1. आवंटि का नाम एवं पदनाम/
   Name of the allottee and designation: ____________________
2. लिंग/ Gender: ____________________
3. श्रेणी/ Category (SC/ST/PwD): ____________________
4. आवंटित आवास संख्या, टाइप एवं स्थान (कृषि कुंज/ जनक विहार/ पूसा परिसर)
   Allotted Quarter No. , Type and locality: ____________________
5. तिथि जब से आवास में रह रहे है/ Date since when Quarter occupied: ____________________
6. आवंटि का संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई. डी./
   Contact No. of allottee along with e-mail ID: ____________________
7. आवंटि का आधार नंबर/
   Aadhaar No. of Allottee ____________________
8. परिवार का विवरण/ Details of family

क्रम संख्या /S.No.	नाम/ Name	आयु/ Age	आवंटि के साथ संबंध/ Relation with the allottee
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

9. सर्वन्ट कॉर्टर में रहने वाले घरेलू सहायक/सहायकों का विवरण (यदि कोई हो)/ Details of servants residing in servant quarters (if any)

क्रम संख्या /S.No.	नाम (उपनाम, यदि कोई हो)/ Name (Alias, if any)	आयु/ Age	संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई. डी./ Contact number/ e-mail ID

घोषणा/ Declaration:

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/ करती हूँ कि/ I hereby solemnly declare that:

(i) भा. कृ. अनु. प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नियम/जीपीआरए-2017 नियमों के अनुसार उपर्युक्त आवास पर केवल मेरा और मेरे परिवार के पात्र सदस्यों का कब्जा है। पारिवारिक विवरण में कोई भी बदलाव मेरे द्वारा अद्यतन किया जाएगा और आवास अनुभाग को तुरंत सूचित किया जाएगा।
The above-mentioned accommodation is occupied only by me and my eligible family members as per ICAR-IARI Allotment Rules/ GPRA-2017 Rules. Any changes in family details will be updated by me and intimated to Housing Section immediately.

(ii) आवास का कोई भी हिस्सा पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया गया है।
No portion of the accommodation has been sublet, either wholly or partly to any person.

(iii) परिसर का उपयोग पूरी तरह से आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, न कि किसी वाणिज्यिक या अनधिकृत गतिविधि के लिए।
The premises is being used strictly for residential purposes and not for any commercial or un-authorised activity

(iv) मैं समझता/ समझती हूं कि यदि उपरोक्त घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मैं जीपीआरए-2017 दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) सहित लागू नियमों के तहत आवंटन रद्द करने, बेदखली, क्षति (दंडात्मक लाइसेंस शुल्क), डिबारमेंट और अनुशासनात्मक कार्रवाई को करने के लिए उत्तरदायी होगा।
I understand that in case the above declaration is found false, I shall be liable for cancellation of allotment, eviction, damages (penal license fee), debarment, and disciplinary action under applicable rules including GPRA-2017 guidelines (as amended from time to time).

(आवंटि के हस्ताक्षर दिनांक सहित/ Signature of the allottee with date)

टिप्पणी/ Note:

आवंटियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रोफ़ार्मा को सभी दृष्टियों से पूर्ण करके, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ, आवास अनुभाग (Housing Section) के ई-मेल ID: iarihousingsection@gmail.com पर जमा करें:

1. आवंटी के आधिकारिक पहचान पत्र (ID proof) की प्रति।
2. आवंटी के परिवार के सदस्यों के फोटो पहचान पत्र।
3. सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले घरेलू सहायक/सहायकों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज (यदि कोई हों)।

The allottees are requested to submit the above proforma complete in all respects alongwith a copy of the following documents to Housing Section on e-mail ID: iarihousingsection@gmail.com:

1. Copy of the official ID proof of the allottee.
2. Photo ID proof of family members of the allottee.
3. Police verification documents of servants residing in servant quarters (if any).

नोट: हिंदी व् अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।